रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, बुधवार, मई 10, 2000/वैशाख 20, 1922

No. 55] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 10, 2000/VAISAKHA 20, 1922

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2000

सं. 8/1(1)/99-सी.ई.आर.सी. .—विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

(i) इन नियमों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली , 2000 कहा जाएगा ।

(ii) यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

2. **नियम 31 और 49 में संशोधन**

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) नियमावली, 1999 के नियम 31 तथा 49 में जहां भी " सात प्रतियां " आएगा , उसकी जगह " दस प्रतियां " पढ़ा जाए ।

3. **नियम 102 में संशोधन**

नियम 102 के विद्यमान प्रावधानों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है :-

102 (1) परामर्शी समिति की बैठक कम से कम 6 महीने में एक बार अथवा ऐसे समयान्तराल में और ऐसे स्थान पर जो आयोग द्वारा निश्चित किया जाये, होगी ।

बशर्ते कि परामर्शी समिति की बैठक में परोक्षी हाजिरी देने की अनुमति नहीं होगी ।

फिर बशर्ते कि अध्यक्ष परामर्शी समिति की बैठक की कार्य-सूची से संबंधित किसी मामले पर परामर्शी समिति के सदस्यों को सहायता और सहयोग देने के लिए किसी ऐसे विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है , जो परामर्शी समिति का सदस्य न हो ।

(3) आयोग के सचिव परामर्शी समिति के सचिव होंगे ।

(4) सदस्य एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए नियुक्त होंगे , जिसकी अवधि आयोग के विवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है ।

(5) परामर्शी समिति की बैठक में भाग लेते समय सदस्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता, जो भारत सरकार के सचिव के लिए स्वीकार्य है , के हकदार होंगे ।

बशर्ते कि सदस्य, जो केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजित नहीं हैं , प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के अतिरिक्त 3000/- रु0 के मानदेय के हकदार होंगे।

(6) परामर्शी समिति की बैठक के लिए नोटिस और कार्य-सूची, सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले भेज दी जाएगी ।

(7) सचिव, बैठक की कार्यवाही रिकार्ड तैयार करेंगे अथवा उन्हें तैयार करवाएंगे और अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद कार्यवाही रिकार्ड का अनुरक्षण करेंगे ।

(8) कार्यवाही का रिकार्ड परामर्शी समिति के सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ।

(9) सदस्यों से अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को ,समिति के बैठक की कार्यवाही के रिकार्ड की प्रामाणिक प्रतियां प्राप्त करने लिए आयोग द्वारा निर्धारित फीस के भुगतान किए जाने पर, परामर्शी समिति की बैठक की कार्यवाही के रिकार्ड की एक प्रति भेजी जाएगी ।

4. नियम के प्रकाशन के विवरण

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) नियमावली, 1999 , दिनांक 26.4.1999 के ारत के राजपत्र (असाधारण) के खंड 4 , भाग - ।।। में प्रकाशित किया गया था और इन नियमों का शुद्धि-पत्र ांक 31.5.1999 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के खंड 4 , भाग - ।।। में प्रकाशित किया गया था ।

संजीव एस. अहलूवालिया, सचिव

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/150/2000]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2000

No. 8/1(1)/99–CERC.—In exercise of powers conferred on it by Section 55 of the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (14 of 1998), the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement

(i) These regulations shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) (First Amendment) Regulations, 2000.

(ii) This amendment shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Regulations 31 and 49

In Regulation 31 and Regulation 49 of Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999, the words "seven copies" wherever appearing shall be substituted by the words "ten copies".

3. Amendment of Regulation 102

The existing provisions of Regulation 102 shall be substituted as under:-

102. (1) The Advisory Committee shall meet at least once in six months or at such intervals and at such places as may be decided by the Commission.

(2) The quorum at the meeting shall be 1/3rd of the total membership of the Advisory Committee.

Provided that attendance by proxy shall not be permitted at the meeting of the Advisory Committee.

Provided further that the Chairperson may invite any person who is not a member of the Advisory Committee as a special invitee to aide and assist the members of the Advisory Committee on any matter on the agenda of its meeting.

(3) The Secretary of the Commission shall be the Secretary of the Advisory Committee.

(4) The members shall be appointed for a minimum term of one year,which may be further extended at the discretion of the Commission.

(5) While attending the meetings of the Advisory Committee members shall be entitled to Travelling Allowance and Daily Allowance as admissible to the Secretary to the Government of India.

Provided that a member not in the employment of the Central/State Government or Public Sector entity will be entitled to an honorarium of Rs.3000/- for attending each meeting in addition to TA/DA.

(6) The notice and the agenda for the meeting of the Advisory Committee shall be sent to the members at least seven days before the date of the meeting.

(7) The Secretary shall prepare or cause to be prepared the record of proceedings of the meeting and shall maintain the record of proceedings after approval of the Chairperson.

(8) The record of proceedings shall be open for inspection to the members of the Advisory Committee.

(9) Any person, other than the members may be supplied with a copy of the record of proceedings of the meeting of the Advisory Committee on payment of fee prescribed by the Commission for obtaining the certified copies of the record of the Commission.

4. Particulars of Publication of the regulations

The Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999 were published in Part-III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 26.4.1999 and Corrigendum to these regulations was published in Part-III Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 31.5.1999.

SANJEEV S. AHLUWALIA, Secy.

[Advt./III/IV/Exty/150/2000]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2000